अंकेक्षण–शुल्क

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अंकेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प. 10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 26.03.2018 (दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी)से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु अंकेक्षण शुल्क को निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है।

क्र.सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण शुल्क की दरें
1	जिला परिषदे	रू. 13,000/–प्रतिवर्ष प्रति जिला परिषद
2	पंचायत समितियाँ	रू. 32,000/–प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति
3	ग्राम पंचायत	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
4	अन्य संस्थाऐं	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति संस्था

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 25.04.2018 से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु निर्धारित अंकेक्षण शुल्क वसूली की दरों का लेखा प्रमाणीकरण व अंकेक्षण कार्य हेतु विभाजन करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :–

क्र. सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण एक साथ होने की स्थिति में समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की दर (राशि रूपये में)	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण अलग होने की स्थिति में	
			प्रमाणीकरण कार्य हेतु आनुपातिक अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)	अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)
1	2	3	4	5 (3–4)
1	पंचायत समितियाँ	रू. 32,000/– प्रति वर्ष प्रति पंचायत समिति	रू. 2700/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष	रू. 29300/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष
2	ग्राम पंचायत	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 700/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 3300/– प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
3	नगर पालिका/ परिषदें/निगम	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	कुल स्वीकृत कार्य दिवसों में से प्रमाणीकरण कार्य हेतु उपयोग किये गये कार्य दिवसों को घटाकर शेष कार्य दिवसों के लिए रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था

अंकेक्षण शुल्क की नवीन दरें दिनांक 01.06.2018 से लागू की गई है। अतः प्रमाणीकरण तथा शेष अंकेक्षण शुल्क की विभाजित दरें भी दिनांक 01.06.2018 से लागू होंगी।

नोट :– 1. लेखों के प्रमाणीकरण तथा अंकेक्षण कार्य के लिए प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष रू. 4000/– ही वसूल किये जाएं।

2. अन्य संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क की दरें समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार ही रहेगी।